



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY

(बीमा दलाल) विनियम, 2013
(Insurance Brokers) Regulations, 2013

लाइसेंस के नवीकरण का प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF RENEWAL OF LICENCE

फॉर्म सी
(विनियम (18) देखें)
FORM C
(See Regulations 18)

लाइसेंस संख्या:

Licence No. 118

1. मेसर्स. प्रायोनियर इश्योरेंस & रि-इश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. श्रेणी समिष्ट दलाल का लाइसेंस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की धारा 18 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) के अधीन नवीकृत किया जाता है।

The Licence of M/s. Pioneer Insurance & Reinsurance Brokers Pvt. Ltd. category Composite Broker is hereby renewed under section 18 of Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999).

2. यह लाइसेंस 24.02.2018 से 23.02.2021 तक विधिमान्य होगा।

This Licence shall be valid from 24.02.2018 to 23.02.2021

3. हैदराबाद में 13 दिन फरवरी दो हजार अठारह को जारी किया गया
Issued at Hyderabad on 13th day of February, Two Thousand Eighteen

4. यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4), उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशा निर्देशों, परिपत्रों और निदेशों का पालन करेगा

This Licence is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all provisions of the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 (4 of 1999), the Rules and Regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान: हैदराबाद
Place: Hyderabad
दिनांक: 13.02.2018
Date: 13.02.2018

आदेशानुसार/By Order

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority